



उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पोलोडॉ – रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड–244715

फोन नं: (05947)-252276, 254275, फैक्स नं: (05947)-255021, 252276

email : secy-ubse-uk@nic.in वेबसाइट : www.ubse.uk.gov.in

अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों (प्रवक्ता एवं स0अ0) की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 हेतु निर्देश

1. पृष्ठभूमि :

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 77086/ XXIV-B-1/2022-02(01)/2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1, देहरादून, दिनांक 17 नवम्बर 2022 एवं शासनादेश संख्या : 1613/XXIV-B-1/21-02(01)/2020, TC1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1, देहरादून, दिनांक 23 जुलाई 2021 एवं शासनादेश संख्या : 1157/XXIV-B-1/2021-02(01)/2020, TC1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1, देहरादून, दिनांक 17 मार्च 2021 के क्रम में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों (प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों) की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 आयोजित की जा रही है।

2. पद/विषयों का विवरण जिनमें स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा रही है :

वर्तमान में अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निम्न विषयों में रिक्त शिक्षकों (प्रवक्ता एवं स0अ0) के पदों पर तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा रही है—

सहायक अध्यापक (एल0टी0) पद हेतु (13 Subject)	प्रवक्ता पद हेतु (16 Subject)
हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पैटिंग, शारीरिक शिक्षा, गृहविज्ञान, संगीत, कृषि, वाणिज्य एवं उर्दू	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, पैटिंग, गृहविज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि

3. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएँ :

परीक्षा के संबंध में निर्गत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 1613/XXIV-B-1/21-02(01)/2020,TC1, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1, देहरादून, दिनांक 23 जुलाई 2021 एवं शासनादेश संख्या : 1157/XXIV-B-1/2021-02(01)/2020, TC1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1, देहरादून, दिनांक 17 मार्च 2021 के क्रम में इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये न्यूनतम अर्हताएँ निम्नवत् हैं—

क्र०सं०	सहायक अध्यापक पद हेतु	प्रवक्ता पद हेतु
1	राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एल0टी0) संवर्ग में संबंधित विषय में तैनात हो।	राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में संबंधित विषय तैनात हो।
2	आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक न हो।*	आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक न हो।*

* महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा की विज्ञासि संख्या : सेवा-1(प्रशात-विविध)/9374-75/अ0उ0वि0-स0अ0/
प्रवक्ता/2022-23, दिन 24 मार्च 2023 के अनुसार आवेदक की आयु 01 अप्रैल 2023 को 55 वर्ष से अधिक नहीं
होनी चाहिए।

4. परीक्षा योजना :

परीक्षा के संबंध में निर्गत शासनादेश के क्रम में परीक्षार्थियों के अंग्रेजी कौशल एवं विषय ज्ञान के परीक्षण हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जायेगी।

- परीक्षा में अंग्रेजी कौशल एवं विषय ज्ञान के परीक्षण से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय प्रश्न) प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 1 घण्टा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा के दो भाग (खण्ड) होंगे। पहले भाग (खण्ड) अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा के कौशल, समझ, सामान्य व्यावहारिक व व्याकरणीय ज्ञान एवं दक्षता तथा अंग्रेजी भाषा में सम्प्रेषण क्षमता के परीक्षण पर आधारित होगा। प्रश्नपत्र के द्वितीय भाग (खण्ड) में विषय ज्ञान (आवेदक द्वारा आवेदित पद/विषय के अनुसार) के परीक्षण पर आधारित होगा, जो निम्नानुसार होगा—

Test	Test Component of the Test	Number of Questions	Total Marks	Duration of the Test
Part I	English Language Competency Test	30	30	The test will be of 1.00 hour
Part II	Subject Specific Knowledge	30	30	duration without any time limit for each part of the test individually.
	TOTAL	60	60	

- प्रश्नपत्र के पहले भाग (खण्ड) में अंग्रेजी कौशल के परीक्षण हेतु सभी के लिए प्रश्नपत्र का स्वरूप/विषय सामग्री एक सी होगी। किन्तु प्रश्नपत्र के दूसरे भाग (खण्ड) में विषय ज्ञान के प्रश्नपत्र आवेदक द्वारा आवेदित पद/विषय के अनुसार होंगे।
- स030 एवं प्रवक्ता पद की स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु अलग—अलग प्रश्नपत्र होंगे। आवेदक को आवेदित पद/विषय के अनुसार प्रश्नपत्र हल करना होगा।
- अंग्रेजी दक्षता के परीक्षण एवं विषय ज्ञान के प्रश्नपत्र में पाठ्यक्रम एवं कठिनाई स्तर (Difficulty level) स्नातक (Graduation) स्तर का होगा।
- प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।
- प्रश्नपत्र के दोनों भागों (खण्डों) में पृथक—पृथक् 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं, अर्थात् प्रश्नपत्र के प्रथम भाग (खण्ड) : अंग्रेजी भाषा की दक्षता एवं प्रश्नपत्र के द्वितीय भाग (खण्ड) : विषय ज्ञान में पृथक—पृथक् 40 प्रतिशत अंक (अर्थात् 12 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- भाषा विषयों को छोड़ कर अन्य समस्त विषयों के प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे।
- परीक्षा में ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) का प्रयोग किया जायेगा।

5. परीक्षा केन्द्र :

राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता एवं स030 (एल0टी0) पदों पर तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा निम्न 02 शहरों में बने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। अध्यापक को उनके वर्तमान में कार्यरत मण्डल में निम्नवत् निर्धारित परीक्षा शहर से ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

क्र0 सं0	परीक्षा शहर		अभ्युक्ति
	कोड	नाम	
1	1	देहरादून	केवल गढ़वाल मण्डल के जनपदों में कार्यरत अध्यापकों हेतु
2	2	हल्द्वानी	केवल कुमायू मण्डल के जनपदों में कार्यरत अध्यापकों हेतु

6. परीक्षा कार्यक्रम :

परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार राग्यादित की जायेगी—

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	परीक्षा तिथि	समय
1	राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों (प्रवक्ता) की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा 2022-23	20 सितम्बर 2023 (बुधवार)	प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक
2	राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों (स०अ०—एल०टी०) की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा 2022-23		

- परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा से पूर्व आवेदक अपना प्रवेशपत्र परिषद् की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in के DEPARTMENTAL EXAM/UTET ऑफिसियल में जाकर उस पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अपने नाम व जन्मतिथि अथवा Employee ID (जैसा आवेदन—पत्र में अंकित किया गया है) अंकित कर डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदक को प्रवेशपत्र पर नियत स्थान पर अपनी नवीनतम फोटो (कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से सत्यापित करवाकर) चर्चा करनी होगी एवं फोटो की एक समान प्रति परीक्षा तिथि को परीक्षा से पूर्व परीक्षा केन्द्र को भी उपलब्ध करानी होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर प्रवेशपत्र के साथ आवेदक को अपनी पहचान के रूप में कोई एक फोटोयुक्त पहचानपत्र (आई०डी०) (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/पासपोर्ट/पैनकार्ड) भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

7. परीक्षा के लिये सामान्य निर्देश :

परीक्षा कक्ष/हॉल परीक्षा आरंभ होने के 45 मिनट पूर्व खोल दिये जायेंगे। परीक्षार्थीयों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा कक्ष/हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि वे परीक्षा के सम्बन्ध में दिये जाने वाले सामान्य निर्देशों को सुन सकें। परिषद् एवं परीक्षा केन्द्र द्वारा प्रसारित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

- परीक्षा आरम्भ होने के 15 मिनट पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विलम्ब हेतु परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- केन्द्र अधीक्षक अथवा सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई भी परीक्षार्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। परीक्षार्थी अपनी उत्तर—पुस्तिका डियूटी पर उपरिथित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्ष/हॉल से बाहर नहीं जायेगा।
- परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश—पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश—पत्र के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परीक्षार्थी प्रवेश—पत्र को भविष्य में रिकार्ड के लिए सुरक्षित रखें। परीक्षार्थी अपने प्रवेश—पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम फोटो चर्चा करेंगे जिसे उनके कार्यरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित किया जाएगा। प्रवेश—पत्र पर चर्चा की गयी फोटो के समान ही एक फोटो (बिना सत्यापित किए) परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध करायी जाएगी।
- प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अपनी पहचान हेतु प्रवेश—पत्र के साथ एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (आई०डी०) यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड लाना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल/कक्ष के भीतर प्रवेश—पत्र और काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पात्र्य सामग्री, सामान्य कैलकुलेटर, लॉगटेबिल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर डिजिटल घड़ी या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (एजेट), मुद्रित/लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।
- परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में बिल्कुल शांत रहेंगे। केवल अपने प्रश्नपत्र को ही ध्यान लगा कर हल करेंगे। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के वार्तालाप, इशारे या व्यवधान को दुर्व्यवहार माना जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित तरीकों का प्रयोग करता हुआ अथवा किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

- vii. परीक्षा में नकल करने अथवा नकल कराने में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- viii. परीक्षा कक्ष/हॉल में धूम्रपान करना, पान/गुटका चबाना, थूकना सख्त मना है। परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में चाय, कॉफी, शीतल पेय या किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है।
- ix. परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के दौरान केन्द्र व्यावस्थापकों द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


8. प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट-बुकलेट) तथा ०००८००आर० उत्तर पत्रक के प्रयोग के लिये निर्देश :

- i. परीक्षा प्रारम्भ होने के तीस मिनट पूर्व परीक्षार्थी को एक ०००८००आर० उत्तर पत्रक प्रदान किया जायेगा। जिस पर परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक आदि की अंकना करेंगे। अंकना से पूर्व ०००८००आर० उत्तर पत्रक की भली-भौति जॉच कर लें कि वह सही तरह से मुद्रित हो, कटा-फटा, विकृत अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रित न हो, यदि इस प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो तत्काल उसे कक्ष निरीक्षक को वापस कर दूसरा ०००८००आर० उत्तर पत्रक प्राप्त कर लें। ०००८००आर० उत्तर पत्रक सावधानी से भरें, परीक्षार्थी द्वारा ०००८००आर० उत्तर पत्रक को विकृत कर देने की स्थिति में किसी भी दशा में दूसरा ०००८००आर० उत्तर पत्रक नहीं दिया जायेगा। ०००८००आर० उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग में दिए गए निर्देशों का भी पालन करें।
- ii. परीक्षा प्रारंभ होने के दस मिनट पूर्व परीक्षार्थी को एक सीलबंद प्रश्न-पुस्तिका प्रदान की जायेगी। जिसमें अंकित प्रश्न पुस्तिका क्रमांक एवं विषय कोड की अंकना परीक्षार्थी द्वारा अपने ०००८००आर० उत्तर पत्रक पर की जायेगी। प्रश्न-पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर भी परीक्षार्थी को अपने अनुक्रमांक आदि की अंकना बॉल प्वाइंट पेन से करनी होगी।
- iii. परीक्षार्थी प्रश्न-पुस्तिका (टेस्ट-बुकलेट) की सील तभी खोलेंगे, जब कक्ष निरीक्षक द्वारा पुस्तिका की सील खोलने और प्रश्न पत्र हल करने को निर्देशित किया जायेगा। सील खोलने के तत्काल बाद परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका की भली-भौति जॉच कर लें कि उसमें सभी पृष्ठ मुद्रित हों, कोई पेज कटा-फटा, कम, विकृत अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रित न हो, यदि इस प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो तत्काल उसे कक्ष निरीक्षक को वापस कर दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लेंगे।
- iv. ०००८००आर० उत्तर पत्रक में सभी प्रविष्टियों काले बाल-प्वाइंट पेन से की जायेंगी। पेंसिल का किसी भी दशा में प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है तो उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- v. परीक्षार्थी को उपस्थिति/सत्यापन-पत्रक में उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान (बाये हाथ के) लगाना होगा। हस्ताक्षर उसी प्रकार के होने चाहिये जैसा कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में किये गये हैं।
- vi. परीक्षार्थी द्वारा ०००८००आर० उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, विषय कोड आदि विकल्प के गोले काले न करने की स्थिति में उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, इसलिये आवश्यक है कि परीक्षार्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं ०००८००आर० उत्तर पत्रक में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें एवं गोलों को पूर्ण सावधानी से भरें।
- vii. परीक्षार्थी द्वारा ०००८००आर० उत्तर पत्रक में अंकित सूचनाओं यथा अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, विषय कोड आदि विकल्प पर किये गये गोले के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, इसलिये आवश्यक है कि परीक्षार्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं ०००८००आर० उत्तर पत्रक में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें एवं गोलों को पूर्ण सावधानी से भरें।
- viii. ०००८००आर० उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिये महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत हैं-
 - a. ०००८००आर० उत्तर पत्रक पर परीक्षार्थी उत्तर अंकित करने के लिये प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये चार विकल्पों में से सही उत्तर के लिये केवल एक वृत्ताकृति (गोले) को बाल-प्वाइंट पेन से पूरी तरह गहरा (काला) करना होगा। ०००८००आर० उत्तर पत्रक भरने का

सही तरीका



गलत तरीका



b. उदाहरण के लिये प्रश्न पुस्तिका में आया प्रश्न संख्या 50 इस प्रकार है—

50. नेपाल की राजधानी है—

- A. काठमांडू
- B. कोलम्बो
- C. दुबई
- D. ढाका

इस प्रश्न का सही उत्तर A काठमांडू है परीक्षार्थी को उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या 50 ढूँढ़ना होगा तथा प्रश्न संख्या 50 के सम्मुख A को गहरा (काला) करना होगा। सही उत्तर अंकित करने का तरीका निम्नवत है—

50.



- c. उक्त अंकित तरीके से भिन्न तरीके से दिया गया उत्तर त्रुटिपूर्ण माना जायेगा और उनका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- d. एक प्रश्न के उत्तर के बजाए एक ही उत्तर (एक ही वृत्त) को गहरा (काला) करें।
- e. एक बार अंकित उत्तर को बदला नहीं जा सकेगा। परीक्षार्थी उपयुक्त विकल्प (उत्तर) को गहरा (काला) करने से पूर्व उत्तर की सटीकता के विषय में स्वयं को पूर्णतः संतुष्ट कर लें क्योंकि एक बार अंकित कर लिये गये उत्तर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो उसे त्रुटिपूर्ण मानते हुये सम्बन्धित प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- f. हल्का अथवा धुंधली तरह से गहरा (काला) किया गया वृत्त मार्किंग की गलत पद्धति माना जायेगा तथा ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- g. यदि परीक्षार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे प्रश्न के सम्मुख दिये गये वृत्तों में से किसी को भी काला नहीं करना चाहिये।
- h. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक को मोड़ें नहीं और न ही उस पर कोई अवांछनीय निशान लगायें।
- i. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति जो कार्बनलैस है, ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक के साथ संलग्न है। परीक्षार्थी प्रश्नपत्र हल करने के उपरान्त ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक से द्वितीय प्रति को निर्धारित स्थान से पृथक कर मूल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे तथा द्वितीय प्रति (कार्बन प्रति) अपने साथ ले जा सकते हैं। द्वितीय प्रति निकालते समय ध्यान रहे कि मूल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक क्षतिग्रस्त न हो।
- j. मूल्यांकन के समय किसी परीक्षार्थी के ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक की अनुपलब्धता के विषय में किसी विसंगति के मामले में यह माना जाएगा कि परीक्षार्थी टेस्ट-बुकलेट के साथ उत्तर-पत्रक को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में परीक्षार्थी का परिणाम रद्द किए जाने योग्य होगा।
- k. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में किसी भी प्रकार का रफ कार्य न करें। समस्त रफ कार्य प्रश्न पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थल पर ही करें।
- l. परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका साथ में ले जाने की अनुमति है।

9. मूल्यांकन प्रणाली :

परीक्षा में ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। इनमें से एक ही उत्तर सही/सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। परीक्षार्थी को दिये गये चार विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कर उसे ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में अंकित करना होगा।

- i. प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किया जायेगा। ऋणात्मक अंक (Nagetive Mark) नहीं दिये जाएंगे।
- ii. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, विषय कोड आदि अंकित न करने की स्थिति में

उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- iii. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ०००८००आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) में अंकित सूचनाओं यथा अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, विषय कोड आदि विकल्प पर किये गये गोले के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जायेगा। इस संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, इसलिये आवश्यक है कि परीक्षार्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं ०००८००आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका अनुसरण करें।
- iv. प्रश्नपत्र के दोनों भागों (खण्डों) में पृथक्-पृथक् न्यूनतम ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, अर्थात् प्रश्नपत्र के प्रथम भाग (खण्ड) : अंग्रेजी भाषा की दक्षता एवं प्रश्नपत्र के द्वितीय भाग (खण्ड) : विषय ज्ञान में पृथक्-पृथक् ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ४० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को चयन/योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

10. परीक्षाफल एवं योग्यता सूची निर्माण की प्रक्रिया :

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परिषद् द्वारा औपबंधिक उत्तर-कुंजी (Provisional Answer Key) परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा जारी उत्तर-कुंजी (Answer Key) के किसी उत्तर पर आपत्ति होगी तो वह परिषद् को निर्धारित अवधि के अंतर्गत सप्रमाण दावा/आपत्ति भेज सकता है। बिना प्रमाण एवं निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जायेगा। दावा/आपत्ति सही पाये जाने पर उत्तर-कुंजी (Answer Key) में तदनुसार आवश्यक संशोधन या निरसन के पश्चात अंतिम उत्तर-कुंजी (Answer Key) तैयार कर परीक्षाफल का निर्माण किया जायेगा। परिषद् द्वारा जारी अंतिम उत्तर-कुंजी (Answer Key) पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

- i. ०००८००आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) की स्कैनिंग एवं आपत्ति निराकरण के उपरांत अंतिम उत्तर-कुंजी (Answer Key) के आधार पर परिषद् द्वारा परीक्षाफल तैयार कर घोषित किया जायेगा।
- ii. ०००८००आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन मशीन से किया जाता है, अतः ०००८००आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्कूटनी) हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रयुक्त ०००८००आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) की कार्बन प्रति एवं प्रश्नपुस्तिका को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
- iii. प्रश्नपत्र के दोनों भागों (खण्डों) अर्थात् प्रश्नपत्र के प्रथम भाग (खण्ड) : अंग्रेजी भाषा की दक्षता एवं प्रश्नपत्र के द्वितीय भाग (खण्ड) : विषय ज्ञान में पृथक्-पृथक् न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रश्नपत्र के प्रत्येक भाग (खण्ड) में पृथक्-पृथक् ४० प्रतिशत अंक अर्थात् १२-१२ अंक) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही चयन/योग्यता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।
- iv. अभ्यर्थी द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर प्रत्येक पद/विषय हेतु पृथक्-पृथक् चयन/योग्यता सूची तैयार की जायेगी। परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। योग्यता सूची तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में (i) ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा, यदि आयु भी बराबर हों तो (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) क्रम वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।
- v. ०००८००आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) सहित परीक्षा के अभिलेख परीक्षा आयोजन तिथि से एक वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जायेंगे एवं तत्पश्चात इन्हें विनष्ट (वीड-आउट) कर दिया जायेगा।

11. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

- i. महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा। परीक्षा के उपरांत अर्ह (चयन/योग्यता सूची में आने वाले) परीक्षार्थियों की अर्हता की जाँच महानिदेशालय/मध्यामिक शिक्षा निदेशालय द्वारा की जायेगी। किसी सूचना या तथ्य के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करते हुये सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी

गतिमान कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा रचीकार नहीं किया जायेगा।

- ii. संबंधित पद/विषय में उपलब्ध स्थानों की संख्या का अंतिम रूप से निर्धारण निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) / महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा एवं तदनुसार चयन/योग्यता सूची से परीक्षार्थियों को आमंत्रित किया जायेगा।
- iii. परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित तिथियों/कार्यक्रमों में परिवर्तन किया जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- iv. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- v. परिषद के साथ पत्र-व्यवहार हेतु पता निम्नवत है –

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
(विभागीय परीक्षा अनुभाग),
पोलॉनो रामनगर (नैनीताल), पिन : 244715

- vi. परीक्षा संबंधी जानकारी हेतु परिषद के निम्न अधिकारियों से भी सम्पर्क कर सकते हैं–

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	मोबाइल नम्बर	अन्य विवरण
1	श्री बी०एम०एस० रावत	अपर सचिव	8755617431	नोडल अधिकारी, विभागीय परीक्षा
2	श्री सी०पी० रत्नौड़ी	उप सचिव	7579246923	अनुभाग अधिकारी, विभागीय अनुभाग
3	श्री रामचन्द्र पाण्डेय	शोध अधिकारी	9557466246	
4	श्री सुनील रावत	वरिंप्र०अधिय०	9410579667	
5	श्री मनोहर	प्र०अधिकारी	9568342956	

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

:: महत्वपूर्ण निर्देश ::

अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि, परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह “अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों (प्रवक्ता एवं स०आ०) की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा 2023” हेतु पात्रता के सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता है। न्यूनतम अर्हता पूर्ण न होने की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होगा।